राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोनः– 0141–2715565 E-mail ID– rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./ /CSG दिशा–निर्देश/2020–21/ 13763 दिनांकः– 17/8/2020

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (COMPOSITE SCHOOL GRANT)
दिशा–निर्देश सत्र 2020–21

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2018–19 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है। **जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के विद्यालयों की सूची तथा स्वीकृत सीएसजी राशि का हस्तान्तरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को किया जायेगा।** मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ब्लॉक के विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित की जायेगी। अतः निम्नानुसार सीएसजी राशि को वितरित किया जाकर शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

1) वित्तीय प्रावधान :

S.No.	Number of students in School	School Grant
1	1-15	Rs. 12500 (Including atleast Rs. 1250 for Swachhta Action Plan)
2	16-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :– 1) उपरोक्त तालिका के क्रं.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा, जिसका ध्यान सीडीईओ द्वारा रखा जायेगा।

2) विद्यालय स्तर :–

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

- विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
- दरी पट्टी/दरी।
- श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
- चॉक, डस्टर।
- परीक्षा संबंधी स्टेशनरी।
- पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।

www.rajteachers.com

- एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
- प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री /उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।
- अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
- शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
- प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
- इन्टरनेट संबंधी कार्य।
- वार्षिक टूट–फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
- शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
- अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
- छात्र हित में अन्य आवर्ती मदों हेतु।

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावें। अति–आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

3) विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :–

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यो हेतु ही किया जा सकेगाः–

- विद्यालय के शौचालय /मूत्रालयो का नियमित उपयोग एंव रख –रखाव ।
- शौचालय /मूत्रालयो की साफ–सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
- विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
- शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
- शौचालय /मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए
- बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
- कक्षा–कक्षों एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
- बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।
- पेयजल स्त्रोत को रिपेयर कराने के लिए।
- **कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये सैनेटाईजर, साबुन क्रय।**
- **परिषद कार्यालय आदेश क्रमांक रास्कूशिप/जय/वैशि/2020–21/12925 दिनांक 13.07.2020 के अनुसार कोविड–19 के बचाव हेतु सुरक्षा एवं स्वच्छता पर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।**

4) कार्य प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
4. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च्व स्तर की होनी चाहिए।
5. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
6. माह फरवरी 2021 तक सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) निर्धारित प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को 01 अप्रैल, 2021 तक प्रकोष्ठ **की ई–मेल आईडी rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करेंगे।**

www.rajteachers.com

4.1) कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

5) ध्यान देने योग्य बिन्दुः–

1. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री क्रय में **''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।**
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :–

1. **राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से राशि प्राप्त होने के 10 (दस) दिवस में राशि का हस्तान्तरण करवाना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।**
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की प्राप्त राशि को नामांकन अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित करना।
3. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
4. पीईईओ से वित्तीय वर्ष 2020–21 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
5. जिले का वित्तीय वर्ष 2020–21 का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :–

1. जिला कार्यालय से प्राप्त राशि को सम्बन्धित विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को हस्तान्तरित करना।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/शहरी क्षेत्र के विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2020–21 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ कार्यालय :–

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कंम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा–निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 पीईईओ विद्यालय एवं पीईईओ अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

www.rajteachers.com

9) **दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :–**

1. विद्यालय की एसडीएमसी / एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।
5. शहरी क्षेत्र के समस्त विद्यालय सत्र 2020–21 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) की पूर्ति कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

10) **विशेष :–**

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. **राशि का उपयोग गतिविधि व एमएचआरडी के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।**

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड..

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020–21 में प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये....................का चैक संख्या.............................. बैक................................ शाखा............................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

www.rajteachers.com

कार्यालय पीईईओ .... ब्लॉक .... जिला ....
ब्लॉक कार्यालय .... जिला ....

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (ब्लॉक स्तर)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020–21 में ब्लॉक .... जिला .... के ....प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक, ... माध्यमिक, एवं ....उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :–

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार प्रावि / उप्रावि / मावि / उमावि	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	प्राप्त सीएसजी राशि	व्यय सीएसजी राशि	शेष सीएसजी राशि	वि. वि.
1	2	3	5	6	7	8
योग						

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (जिला स्तर)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020–21 में जिला .... को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल . ... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

www.rajteachers.com

Secondary Composite School Grant (CSG) Budget 2020-21

Sno.	District	(Enrol 1-15)	Fin. in lac per school @0.125 lac	(Enrol >15 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	(Enrol >= 1000)	Fin. in lac per school @1.0 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER		0.000	8	2.000	113	56.500	381	285.750	10	10.000	512	354.2500
2	ALWAR	1	0.125	49	12.250	316	158.000	405	303.750	3	3.000	774	477.1250
3	BANSWARA		0.000	1	0.250	62	31.000	383	287.250	9	9.000	455	327.5000
4	BARAN		0.000	7	1.750	111	55.500	183	137.250	2	2.000	303	196.5000
5	BARMER	1	0.125	7	1.750	171	85.500	507	380.250	2	2.000	688	469.6250
6	BHARATPUR	1	0.125	14	3.500	183	91.500	331	248.250	5	5.000	534	348.3750
7	BHILWARA		0.000	8	2.000	142	71.000	406	304.500	5	5.000	561	382.5000
8	BIKANER		0.000	7	1.750	90	45.000	317	237.750	9	9.000	423	293.5000
9	BUNDI		0.000	3	0.750	83	41.500	181	135.750	3	3.000	270	181.0000
10	CHITTAURGARH	2	0.250	8	2.000	171	85.500	227	170.250	5	5.000	413	263.0000
11	CHURU	1	0.125	26	6.500	173	86.500	291	218.250	5	5.000	496	316.3750
12	DAUSA		0.000	11	2.750	141	70.500	215	161.250	6	6.000	373	240.5000
13	DHAULPUR		0.000	2	0.500	57	28.500	220	165.000	5	5.000	284	199.0000
14	DUNGARPUR		0.000	4	1.000	64	32.000	317	237.750	4	4.000	389	274.7500
15	GANGANAGAR	1	0.125	20	5.000	204	102.000	244	183.000	16	16.000	485	306.1250
16	HANUMANGARH		0.000	8	2.000	102	51.000	236	177.000	1	1.000	347	231.0000
17	JAIPUR	3	0.375	56	14.000	413	206.500	453	339.750		0.000	925	560.6250
18	JAISALMER	1	0.125	5	1.250	72	36.000	108	81.000		0.000	186	118.3750
19	JALOR		0.000	6	1.500	59	29.500	315	236.250	2	2.000	382	269.2500
20	JHALAWAR		0.000	6	1.500	79	39.500	232	174.000	5	5.000	322	220.0000
21	JHUNJHUNU	2	0.250	66	16.500	290	145.000	149	111.750	2	2.000	509	275.5000
22	JODHPUR	1	0.125	17	4.250	208	104.000	455	341.250	2	2.000	683	451.6250
23	KARAULI		0.000	6	1.500	114	57.000	185	138.750	2	2.000	307	199.2500
24	KOTA		0.000	6	1.500	127	63.500	177	132.750	2	2.000	312	199.7500
25	NAGAUR	1	0.125	16	4.000	299	149.500	418	313.500	2	2.000	736	469.1250
26	PALI	1	0.125	9	2.250	191	95.500	283	212.250	3	3.000	487	313.1250
27	PRATAPGARH		0.000		0.000	26	13.000	178	133.500	1	1.000	205	147.5000
28	RAJSAMAND		0.000	4	1.000	71	35.500	218	163.500	2	2.000	295	202.0000
29	SAWAI MADHOPUR		0.000	4	1.000	113	56.500	179	134.250	2	2.000	298	193.7500
30	SIKAR		0.000	40	10.000	296	148.000	255	191.250	4	4.000	595	353.2500
31	SIROHI	1	0.125	3	0.750	40	20.000	187	140.250	1	1.000	232	162.1250
32	TONK		0.000	6	1.500	125	62.500	191	143.250	6	6.000	328	213.2500
33	UDAIPUR		0.000	14	3.500	191	95.500	525	393.750	2	2.000	732	494.7500
	TOTAL	**17**	**2.125**	**447**	**111.750**	**4897**	**2448.500**	**9352**	**7014.000**	**128**	**128.000**	**14841**	**9704.3750**

www.rajteachers.com

Elementary Composite School Grant (CSG) Budget 2020-21

Sno.	District	(Enrol 1-15)	Fin. in lac per school @0.125 lac	(Enrol >15 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	56	7.000	833	208.250	418	209.000	25	18.750	1332	443.0000
2	ALWAR	93	11.625	1385	346.250	530	265.000	40	30.000	2048	652.8750
3	BANSWARA	33	4.125	2150	537.500	463	231.500	59	44.250	2705	817.3750
4	BARAN	42	5.250	1039	259.750	197	98.500	5	3.750	1283	367.2500
5	BARMER	236	29.500	2983	745.750	764	382.000	32	24.000	4015	1181.2500
6	BHARATPUR	46	5.750	809	202.250	299	149.500	23	17.250	1177	374.7500
7	BHILWARA	90	11.250	1619	404.750	574	287.000	17	12.750	2300	715.7500
8	BIKANER	171	21.375	1064	266.000	284	142.000	28	21.000	1547	450.3750
9	BUNDI	47	5.875	713	178.250	205	102.500	5	3.750	970	290.3750
10	CHITTAURGARH	84	10.500	1004	251.000	315	157.500	4	3.000	1407	422.0000
11	CHURU	85	10.625	528	132.000	265	132.500	18	13.500	896	288.6250
12	DAUSA	76	9.500	851	212.750	232	116.000	1	0.750	1160	339.0000
13	DHAULPUR	25	3.125	517	129.250	261	130.500	32	24.000	835	286.8750
14	DUNGARPUR	63	7.875	1803	450.750	379	189.500	26	19.500	2271	667.6250
15	GANGANAGAR	256	32.000	1001	250.250	189	94.500	3	2.250	1449	379.0000
16	HANUMANGARH	80	10.000	443	110.750	188	94.000	7	5.250	718	220.0000
17	JAIPUR	295	36.875	1984	496.000	438	219.000	28	21.000	2745	772.8750
18	JAISALMER	129	16.125	698	174.500	163	81.500	4	3.000	994	275.1250
19	JALOR	43	5.375	1022	255.500	396	198.000	35	26.250	1496	485.1250
20	JHALAWAR	80	10.000	968	242.000	310	155.000	7	5.250	1365	412.2500
21	JHUNJHUNU	218	27.250	729	182.250	66	33.000	4	3.000	1017	245.5000
22	JODHPUR	256	32.000	2061	515.250	438	219.000	21	15.750	2776	782.0000
23	KARAULI	55	6.875	793	198.250	200	100.000	7	5.250	1055	310.3750
24	KOTA	53	6.625	536	134.000	177	88.500	6	4.500	772	233.6250
25	NAGAUR	241	30.125	1527	381.750	468	234.000	10	7.500	2246	653.3750
26	PALI	70	8.750	858	214.500	381	190.500	22	16.500	1331	430.2500
27	PRATAPGARH	41	5.125	1208	302.000	250	125.000	9	6.750	1508	438.8750
28	RAJSAMAND	28	3.500	1024	256.000	330	165.000	10	7.500	1392	432.0000
29	SAWAI MADHOPUR	21	2.625	561	140.250	177	88.500	2	1.500	761	232.8750
30	SIKAR	115	14.375	1001	250.250	203	101.500	7	5.250	1326	371.3750
31	SIROHI	22	2.750	508	127.000	215	107.500	21	15.750	766	253.0000
32	TONK	87	10.875	851	212.750	175	87.500	1	0.750	1114	311.8750
33	UDAIPUR	86	10.750	2837	709.250	670	335.000	56	42.000	3649	1097.0000
	Grand Total	3323	415.375	37908	9477.000	10620	5310.000	575	431.250	52426	15633.6250

14/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

www.rajteachers.com

क्रमांकः– रास्कूलशिप / जय / औ.शि. / / CSG दिशा–निर्देश / 2020–21 / 13763 दिनांक : 17/8/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक / सीडीईओ / जि.शि.अ. प्रा. एवं मा. / सीबीईओ / पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम / द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. नियन्त्रक वित्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
7. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक रा.स्कूल.शि.प., जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
8. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय